429

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल महोदय ग्वालियर ,म0प्र0

प्रकरण क0– I/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2018/1262 सन्–2018

सियाराम पटेल तनय स्व0 श्री हरलाल पटेल उम्र 44 वर्ष

निवासी अटारन तहसील व जिला छतरपुर,म0प्र0 ———— निगरानीकर्ता (उत्तरवादी)

बनाम

1. तीरथराज मिश्रा तनय स्व0 श्री बैजनाथ प्रसाद मिश्रा
2. उमाशंकर मिश्रा तनय स्व0 श्री बैजनाथ प्रसाद मिश्रा
3. रमाकान्त मिश्रा तनय स्व0 श्री बैजनाथ प्रसाद मिश्रा
4. कृष्णकान्त मिश्रा (एड0) तनय स्व0 श्री बैजनाथ प्रसाद मिश्रा

   निवासीगण ग्राम मौराहा तहसील व जिला छतरपुर,म0प्र0
5. कमलेश पटेल तनय स्व0 श्री हरलाल पटेल

   निवासी ग्राम अटारन तह0 व जिला छतरपुर,म0प्र0
6. कटुवा कुर्मी तनय जगन्नाथ कुर्मी
7. किशोरीलाल कुर्मी तनय झल्ली कुर्मी
8. रामकृपाल कुर्मी तनय बाबूलाल कुर्मी
9. राधाचरण कुर्मी तनय मुन्नीलाल पटेल

   निवासीगण ग्राम –मौराहा तहसील व जिला छतरपुर,म0प्र0
10. चिरौंजीलाल तनय राजाराम कुर्मी
11. अच्छेलाल कुर्मी तनय कटु कुर्मी

19/2/18 6/3/18 19/2/18 19/2/18

12. कौशल किशोर कुर्मी तनय कट्टु कुर्मी
13. देशराज कुर्मी तनय मनु कुर्मी
14. लक्ष्मी प्रसाद कुर्मी तनय मनु कुर्मी
15. गोकुल कुर्मी तनय घनश्याम कुर्मी

निवासीगण ग्राम अटारन तहसील व जिला छतरपुर,म0प्र0

16. राजकिशोर कुर्मी तनय देशराज कुर्मी
17. नंदकिशोर कुर्मी तनय देशराज कुर्मी

निवासीगण ग्राम मौराहा तहसील व जिला छतरपुर,म0प्र0

18. सरी बेवा देशराज कुर्मी निवासी मौराहा तह0 व जिला छतरपुर
19. शंकरलाल कुर्मी तनय मोहन कुर्मी
20. नवल किशोर कुर्मी तनय मोहन कुर्मी
21. रामरतन कुर्मी तनय मोहन कुर्मी
22. गोवर्धन कुमी तनय अखिलेश कुर्मी
23. अनीता बेवा अखिलेश कुर्मी

निवासीगण ग्राम अटारन तहसील व जिला छतरपुर,म0प्र0

24. शासन मध्य प्रदेश-------- ---------- ----------गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी अंतर्गत धारा-50 म0प्र0भू-राजस्व संहिता
प्रकरण कमांक 125/अपील-ना.पं./2013-14 में
श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय छतरपुर द्वारा
पारित आदेश दिनांक 09.01.2018 के विरूद्ध ।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2018/1262 सियाराम विरूद्ध तीरथराज

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 125/अपील-ना.पं./2013-14 में पारित आदेश दिनांक 09-01-2018 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 19-02-2018 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।	

31-01-19

5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

31-01-19

(आर.के. जैन)
सदस्य